कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक :– प.6(14) पु.अ./म.अ./रा0बा0स0आ0/13/9231–81 दिनांक 03–12.2013

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त मय जीआरपी,
राजस्थान जयपुर।

विषय :– किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2000 एवं लैगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम, 2012 की पालना किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– निदेशक, निदेशालय बाल अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.14 (1)/सान्याअधि/बबअ/13/26325 दिनांक 13.11.13 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राज्य में किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2000 एवं लैगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम, 2012 का प्रभावी कियान्वयन, बाल श्रम की रोकथाम, नाबालिग बालिकाओं के प्रेम प्रसंग प्रकरण, नवजात शिशुओं व विधि से संघर्षरत बच्चों के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी किये जाने के पश्चात् भी इनकी कियान्विति नहीं की जा रही है। अतः इनके प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. **बाल श्रम के प्रकरणों के सम्बन्ध में** :– राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.08.2012 से राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करते हुए सभी सम्बंधितों के लिये विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस द्वारा बच्चों को नियोजित करने वाले सम्बंधित नियोक्ताओं के विरूद्व बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियोजन अधिनियम 1986, भारतीय दण्ड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 26 में प्रकरण दर्ज किया जाता है जिसमें नियोक्ताओं को 3 वर्ष की सजा हो सकती है। अधिनियम के तहत सह धारा संज्ञानात्मक है। अधिनियम में इस धारा के जमानती व गैर जमानती होने के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं होने के कारण इसके कियान्वयन के दौरान देखने में आया है कि कुछ जिलों में इसे जमानती धारा मानते हुए नियोक्ताओं को पुलिस थाने पर ही जमानत दी जा रही है, जबकि कुछ जिलों में इसे गैर जमानती धारा माना जा रहा है।

   इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विधि विभाग से राय प्राप्त की गई है, जिसके अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के तहत् अन्य अधिनियम जिनमें 3 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 7 वर्ष से कम सजा के अपराधों को गैर जमानती माना गया है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि धारा 26 को नियमानुसार गैर जमानती मानकर ही कार्यवाही अमल में लायी जावें।

2. **नाबालिग बालिकाओं के प्रेम प्रसंग प्रकरणों के सम्बन्ध में** :– विगत कुछ वर्षो में प्रेम प्रसंग के मामले जिनमें नाबालिग बालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाबालिग बालिका के भाग जाने के कई प्रकरण सामने आये है, जिनमें बालिका अपनी स्वेच्छा से सम्बंधित व्यक्ति /बालक के साथ भाग जाती है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा सम्बंधित बालक/व्यक्ति एवं सम्बंधित नाबालिग बालिका (भगवैया) को तलाश कर सम्बंधित न्यायालय/मजिस्ट्रेट (जहॉ पर भगाने वाले सम्बंधित बालक/व्यक्ति के विरूद्व मामला विचारार्थ है।) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस द्वारा भगाने वाले सम्बंधित व्यक्ति/बालक के विरूद्व नियमानुसार पुलिस कार्यवाही की जाती है तथा सम्बंधित नाबालिग बालिका को सम्बंधित न्यायालय/मजिस्ट्रेट के आदेश से बालिका गृह/नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। जबकि ऐसे मामलों में सम्बंधित बालिका देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली पीडिता होती है, जिसके संरक्षण एवं आश्रय के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार सम्बंधित बाल कल्याण समिति (सक्षम प्राधिकारी) का है।

   अतः भविष्य में ऐसे मामलों में 18 वर्ष से कम उम्र की पीडित बालिकाओं को न्यायालय/मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बजाय नियमानुसार सम्बंधित बाल

कल्याण समिति के सामने पेश किया जावे, ताकि वह बालिका के संरक्षण एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

3. **आईपीसी की धारा 317 एवं नवजात शिशुओं के मामलों में कार्यवाही के सम्बन्ध में** :– किसी भी व्यक्ति/माता द्वारा परित्यक्त किये गये बच्चों के मामलों में पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 317 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। **उक्त धारा का आशय किसी भी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का पूर्ण रूप से परित्याग कर उसे असुरक्षित स्थिति में लाकर त्यागना अपराध के रूप में माना गया है।** दिल्ली न्यायिक अकादमी एवं बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान की राय के अनुसार किसी शिशु को किसी अस्पताल पालना केन्द्र/बाल गृह में छोडने को उद्देश्य उस शिशु को सुरक्षित रूप से परित्याग करना है जिसमें यह उद्देश्य निहित है कि उक्त संस्थाओं द्वारा उस शिशु की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सकेगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि नवजात शिशुओं के प्रकरण के सम्बन्ध में नवजात शिशु मिलने पर पुलिस तत्काल सम्बंधित बाल कल्याण समिति एवं राजकीय बाल/शिशु गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी को सूचित करेगी। किसी चिकित्सालयों/पालना केन्द्रों/बालक गृहों/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी में छोडे गये शिशुओं के प्रकरणों में धारा 317 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जायेगा। धारा 317 की कार्यवाही केवल उन्हीं प्रकरणों में की जायेगी जहॉ पर फेंके गये शिशु को असुरक्षित स्थान पर त्यागने स्वरूप फेंका अथवा छोडा गया है। ऐसे प्रकरणों में भी पुलिस महानिदेशक के आदेश दिनांक 30.04.2012 के अनुरूप यथासंभव अधिकतम 10 दिवस में पुलिस कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसके नतीजे से बाल कल्याण समिति/राजकीय गैर राजकीय बाल/शिशु गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी को अवगत कराया जावेगा, ताकि सम्बंधित शिशु का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकें।

यदि फेंके गये शिशु की माता अविवाहित अथवा शिशु का जन्म अनचाहे रिश्ते से हुआ हो, तो सम्बंधित माता को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जावेगी। यदि महिला/परिवार द्वारा बच्चें को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार समर्पित किया जाता है तो उसके विरूद्व धारा 317 के तहत कार्यवाही नहीं की जावेगी।

4. **बालक /बालिका की उम्र निर्धारण के सम्बन्ध में** :– विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चें तथा पीडित बच्चों की शारीरिक बनावट अथवा बोर्डर लाईन प्रकरणों में पुलिस/अनुसंधान अधिकारी सम्बंधित व्यक्ति/बालक की उम्र के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया से जानकारी प्राप्त न करते हुए अनुमानित उम्र के अनुरूप अथवा चिकित्सालय से उसकी उम्र सम्बन्धी जॉच कराते है तथा उसमें अंकित उम्र के अनुरूप कार्यवाही संपादित करते है, जबकि राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 के नियम 12 में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप उम्र निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रचलित प्रकिया से प्रभावित बच्चों को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पडता है।

अतः भविष्य में पुलिस के संपर्क में आने वाले बालक की आयु की जानकारी प्राप्त करने के लिये राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2011 के नियम 12 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में पृथक से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें।

5. **बाल कल्याण समिति के आदेशों की पालना एवं सहयोग के क्रम में** :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 के तहत देखभाल एवं सरंक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच , सुनवाई, पुर्नवास एवं निपटान हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्राप्त है।

पुर्नवास एवं निपटान हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्राप्त है।

इस सम्बन्ध में जानकारी में लाया गया है कि बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के मामलों में दिये गये आदेश मुख्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के मामलों में पुलिस सम्बंधित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के नाम से प्रथम सूचना दर्ज कर कार्यवाही करती है, जो न्यायोचित नही है। समिति द्वारा दिये गये निर्देश न्यायपीठ के निर्देश है न कि किन्हीं व्यक्ति विशेष द्वारा दिये गये आदेश है। अतः बाल कल्याण समिति द्वारा दिये गये आदेशों को अन्य मजिस्ट्रेट/न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही देखा जाकर नियमानुसार पुलिस स्तर से कार्यवाही की जावे। साथ ही समिति के निर्देशों की समयबद्वता एवं प्राथमिकता से पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 789–850 दिनांक 24.01.2013 के द्वारा जारी पूर्व दिशा–निर्देशों की पालना में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में दर्ज प्रत्येक मामले की जानकारी मय प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराने की कार्यवाही अनिवार्यता से सुनिश्चित की जावें।

6. **महिला हेल्प डेस्क को महिला एवं बाल हेल्प डेस्क के रूप में संचालित करने के कम में :–** प्रत्येक पुलिस थाने में पीडित महिलाओं एवं बच्चों की सहायता के लिये महिला एवं बाल डेस्क के प्रभावी संचालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 5678–5725 दिनांक 17.07.2013 के द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था। पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस डेस्क के प्रभारी थाने में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों से जुडे विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से कार्यवाही करेगें।

इसके अतिरिक्त इस कार्यलय के बाल तस्करी की रोकथाम हेतु जारी आदेश कमांक 3183–3833 दिनांक 17.10.13, लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के सम्बन्ध में जारी आदेश कमांक 789–850 दिनांक 24.01.13, गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में जारी मानक संचालन प्रकिया आदेश कमांक 1015 दिनांक 20.06.13 एवं बाल कल्याण अधिकारी की भूमिका के सम्बन्ध में जारी मार्गदर्शिका कमांक 2185–2260 दिनांक 30.04.12 में दिये गये विभिन्न दिशा–निर्देशों/परिपत्रों की कडाई से पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(आर0 पी0 सिंह)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स)
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय बाल अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन (विस्तार) होटल राजमहल रेजीडेन्सी जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के कम में।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज/आयुक्त जयपुर/जोधपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स)
राजस्थान जयपुर।